



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 238 राँची, गुरुवार, 14 जेष्ठ, 1942 (श०)
4 जून, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

3 जून, 2018

संख्या-9/नि० आरोप-धनबाद-36/2016 -1355-- श्री अशोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, धनबाद के विरुद्ध गैर आबाद भूमि का निबंधन करने संबंधी आरोप पत्र में गठित कतिपय आरोपों की जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-5782/रा., दिनांक-02.11.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए पत्रांक-76, दिनांक-28.02.2017 द्वारा अधिगम विभाग को समर्पित किया गया जिसमें श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप संख्या-1, 3 एवं 4 को प्रमाणित, आरोप संख्या-5 को अंशतः प्रमाणित एवं आरोप संख्या-2 एवं 6 को अप्रमाणित पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरुद्ध निंदन एवं 2 (दो) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. इसी क्रम में श्री सिन्हा द्वारा एक अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसमें उपस्थापन पदाधिकारी (अपर समाहर्ता, धनबाद) द्वारा समर्पित प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को विलंब से प्राप्त होने के कारण इसे संज्ञान में नहीं लिये जा सकने का उल्लेख किया गया। अतः जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को वापस करते हुए अपर समाहर्ता (उपस्थापन पदाधिकारी) के मंतव्य को संज्ञान में लेते हुए अपना अधिगम पुनः विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक-06, दिनांक-03.01.2018 द्वारा पूर्व के अधिगम को अक्षुण्ण एवं अपरिवर्तित रखते हुए यथावत् पुनः वापस इस विभाग को भेजा गया ।
6. तत्पश्चात विभागीय पत्रांक-2236/रा., दिनांक-25.05.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम की छायाप्रति श्री सिन्हा को भेजते हुए उपरोक्त प्रस्तावित दण्ड अधिरोपण के बिंदु पर कारण-पृच्छा की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित जबाब पर उपायुक्त, धनबाद एवं निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया गया ।

अतः गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम, निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची एवं उपायुक्त, धनबाद का मंतव्य तथा उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिन्हा के विरुद्ध निंदन एवं 2 (दो) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए इस विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा
सरकार के संयुक्त सचिव
